

वश्ववदियालयों में राज्यपाल की भूमिका

प्रलिमिंस के लयि:

वश्ववदियालयों में कुलपतिपर तमलिनाडु वधियक, राज्य के वश्ववदियालयों की नयिक्तमें राज्यपाल की भूमिका

मेन्स के लयि:

केंद्र-राज्य संबंधों में राज्यपाल की भूमिका

चर्चा में क्यों?

पश्चमि बंगाल के पूरव [राज्यपाल](#) ने भारत में नैतिक शासन के महत्त्व के बारे में बात की ।

- राज्यपाल ने नयिक्तमें [वश्ववदियालय अनुदान आयोग \(UGC\)](#) के नयिमें के उल्लंघन का हवाला देते हुए कुलपतियों को नोटसि जारी कयि था ।

वश्ववदियालय के संबंध में राज्यपाल की शक्तयिः

- राज्य वश्ववदियालय:**
 - ज़्यादातर मामलों में राज्य के राज्यपाल उस राज्य के वश्ववदियालयों के पदेन कुलाधपति होते हैं ।
 - राज्यपाल के रूप में वह मंत्रपरिषद की सहायता और सलाह से कार्य करता है, कुलाधपति के रूप में वह मंत्रपरिषद से स्वतंत्र रूप से कार्य करता है और सभी वश्ववदियालयों के मामलों पर स्वयं नरिणय लेता है ।
- केंद्रीय वश्ववदियालय:**
 - केंद्रीय वश्ववदियालय अधनियिम, 2009 और अन्य वधियों के तहत भारत का राष्ट्रपति केंद्रीय वश्ववदियालय का वज़िटिटर होगा ।
 - केंद्रीय वश्ववदियालयों के कुलाधपतिनाममात्र के परमुख होते हैं जनिहें राष्ट्रपति द्वारा आगंतुक के रूप में चुना जाता है, उनके कर्तव्यों को दीक्षांत समारोह की अधयक्षा करने के लयि सीमति कयि जाता है ।
 - कुलपति की नयिक्त, केंद्र सरकार द्वारा गठति खोज और चयन समतियिों द्वारा चुने गए नामों के पैनलों से वज़िटिटर/आगंतुक द्वारा की जाती है ।
 - अधनियिम में यह भी कहा गया है किराष्ट्रपति को वज़िटिटर के रूप में वश्ववदियालयों के शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक पहलुओं के नरिक्षण को अधकृत करने एवं पूछताछ करने का अधकार होगा ।

राज्यपालों को कुलपतिबनाने का मूल उद्देश्य:

- राज्यपालों को कुलपतिबनाना और उन पर कुछ वैधानिक शक्तयिँ लगाने का मूल उद्देश्य **वश्ववदियालयों को राजनीतिक प्रभाव से बचाना था ।**
- आयोग की सफारशें:**
 - सरकारयि आयोग:**
 - [न्यायमूर्ति आर.एस. सरकारयि आयोग](#) ने पाया किकुछ राज्यपालों द्वारा वश्ववदियालय की कुछ नयिक्तयिों में वविक का इस्तेमाल करना आलोचना के दायरे में है ।
 - इसने राज्यपाल की संवैधानिक भूमिका और कुलपति के रूप में नभिआई गई वैधानिक भूमिका के बीच अंतर को स्वीकार करते हुए यह भी रेखांकति कयि किकुलपति सरकार की सलाह लेने के लयि बाध्य नहीं है ।
 - एम.एम. पुंछी आयोग:**
 - इस आयोग ने पाया किराज्यपाल को ऐसी शक्तयिँ न दी जाएँ जसिसे इसका पद वविादों या सार्वजनिक आलोचना के दायरे में आ जाए । इसने राज्यपाल को वैधानिक शक्तयिँ प्रदान करने को स्वीकार नहीं कयि ।

UGC की भूमिका:

- शक्तिषा **समवर्ती सूची** के अंतरगत आती है, लेकनि **संघ सूची की प्रवर्षिटी 66** "उच्च शक्तिषा या अनुसंधान और वैज्ञानिक एवं तकनीकी संस्थानों के मानकों का समन्वय तथा निर्धारण" केंद्र को उच्च शक्तिषा पर पर्याप्त अधिकार देता है।
- **वश्ववदियालय अनुदान आयोग** वश्ववदियालयों और कॉलेजों में नयुक्तियों के मामले में भी मानक-निर्धारण की भूमिका नभिता है।
- **UGC** (वश्ववदियालयों और कॉलेजों में शक्तिषकों और अन्य अकादमिक कर्मचारियों की नयुक्ता के लयि न्यूनतम योग्यता और उच्च शक्तिषा में मानकों के रखरखाव के लयि अन्य उपाय) वनियम, 2018 के अनुसार, "वर्ज़ीटर/चांसलर"- ज़्यादातर राज्यों में राज्यपाल, खोज-सह-चयन समितियों द्वारा अनुशंसति नामों के पैनल में से कुलपति की नयुक्ता करेंगे।
- उच्च शक्तिषण संस्थानों, वशिष रूप से जनिहें UGC से फंड मलिता है, उनहें इसके नयिमों का पालन करना अनविर्य है।
- आमतौर पर केंद्रीय वश्ववदियालयों के मामले में बनिा कसिी टकराव के इनका पालन कया जाता है, लेकनि कभी-कभी राज्य वश्ववदियालयों के मामले में राज्यों द्वारा इसका वरीध कया जाता है।

आगे की राह

- अब समय आ गया है कसिभी राज्य, राज्यपाल को कुलाधपित के रूप में नयुक्त करने पर पुनर्वचार करें।
- हालाँकि उनहें वश्ववदियालय स्वायत्तता की रक्षा के वैकल्पिक साधन भी खोजना चाहयि ताक सित्तरूढ़ दल वश्ववदियालयों के कामकाज़ पर अनुचति प्रभाव न डालें।

यूपीएससी सविलि सेवा वगित वर्षों के प्रश्न

????????????????????

प्रश्न. भारत के कसिी राज्य की वधिानसभा के संदरभ में नमिनलखिति कथनों पर वचिर कीजयि: (2019)

1. राज्यपाल वर्ष के पहले सत्र के प्रारंभ में सदन के सदस्यों को प्रथागत अभिषण देता है।
2. जब कसिी राज्य वधिानमंडल के पास कसिी वशिष मामले पर कोई नयिम नही होता है, तो वह उस मामले पर लोकसभा के नयिम का पालन करता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर:C

व्याख्या:

- भारतीय संवधिान के अनुच्छेद 176(1) में यह व्यवस्था है किराज्यपाल प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र के प्रारंभ में और पहले सत्र के प्रारंभ में एक साथ एकत्रति हुए दोनों सदनों को संबोधति करेगा और वधिानमंडल को सूचति करेगा एवं वधिायिका को उसके सम्मन के कारणों के बारे में सूचति करेगा। **अतः कथन 1 सही है।**
- **अनुच्छेद 208** राज्य वधिानमंडलों में प्रक्रया के नयिमों से संबंधति है। इसमें कहा गया है कः
- कसिी राज्य के वधिानमंडल का कोई सदन इस संवधिान के प्रावधानों, इसकी प्रक्रया और अपने कार्य के संचालन के अधीन वनियिमन के लयि नयिम बना सकता है।
- जब तक **खंड (1) के तहत नयिम नही बनाए जाते, तब तक प्रक्रया के नयिम और स्थायी आदेश इस संवधिान के प्रारंभ से ठीक पहले संबंधति प्रांत के वधिानमंडल के संबंध में लागू होते हैं**, ऐसे संशोधनों के अधीन राज्य के वधिानमंडल के संबंध में प्रभावी होंगे और जैसा किर वधिानसभा के अध्यक्ष या वधिानपरषिद के अध्यक्ष, जैसा भी मामला हो, द्वारा कया जा सकता है।
- इसलयि जब औपनविशक काल से राज्य वधिानमंडल में कसिी वशिष वषिय पर कोई नयिम नही होता है, तो राज्य वधिानसभाएँ लोकसभा के नयिमों का पालन करती हैं। **अतः कथन 2 सही है।**

अतः वकिल्प (c) सही उत्तर है।

प्रश्न: नमिनलखिति कथनों पर वचिर कीजयि: (2018)

1. कसिी राज्य के राज्यपाल के वरुिद्ध उसकी पदावधि के दौरान कसिी न्यायालय में कोई आपराधिक कार्यवाही संस्थापति नही की जाएगी।
2. कसिी राज्य के राज्यपाल की परलिब्धयिां और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नही कयि जाएँगे।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (C)

व्याख्या:

- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 361 भारत के राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपाल को कुछ प्रतारिका प्रदान करता है:
- राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में कोई आपराधिक कार्यवाही जारी नहीं रखी जाएगी।
अतः कथन 1 सही है।
- राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल की गरिफ्तारी या कारावास की कोई प्रक्रिया उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय से जारी नहीं की जाएगी।
- राष्ट्रपति या राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में उसके द्वारा व्यक्तिगत हैसियत से किये गए किसी कृत्य के संबंध में कोई सविलि कार्यवाही संस्थापित नहीं की जाएगी। हालाँकि दो महीने का नोटिस देने के बाद, कार्यालय में प्रवेश करने से पहले या बाद में किये गए अपने व्यक्तिगत कृत्यों के संबंध में कार्यकाल के दौरान उसके खिलाफ दीवानी कार्यवाही शुरू की जा सकती है।
- अनुच्छेद 158 कहता है कि राज्यपाल की परलिब्धियों और भत्तों को उसके कार्यकाल के दौरान कम नहीं किया जाएगा। अतः कथन 2 सही है। अतः विकल्प (c) सही उत्तर है।

????? ?????:

प्रश्न: क्या सर्वोच्च न्यायालय का फैसला (जुलाई 2018) उपराज्यपाल और दिल्ली की निर्वाचन सरकार के बीच राजनीतिक खींचतान को सुलझा सकता है? परीक्षण कीजिये। (2018)

प्रश्न: राज्यपाल द्वारा वधायी शक्तियों के प्रयोग की आवश्यक शर्तों पर चर्चा कीजिये, अध्यादेशों को विधानमंडल के समक्ष रखे बिना राज्यपाल द्वारा उन्हें फरि से प्रख्यापित करने की वैधता पर चर्चा कीजिये (2022)

सत्रोत: द हनिद्र

PDF Refernece URL: <https://www.drishtiiias.com/hindi/printpdf/governor-s-role-in-the-universities>